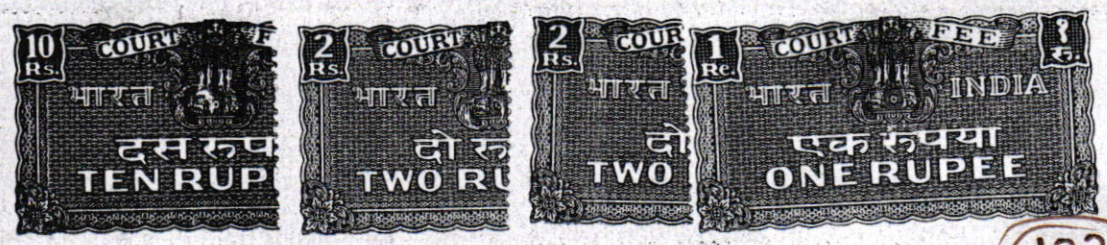

CF 15/-

123

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2006/सतना

R 1394-III/2006

रंगीलाल तनय भागवतदीन लोधी
निवासी ग्राम गढ़रा, थाना जसो,
पो0आ0 रामकुई, तहसील नागौद
जिला – सतना म0प्र0

– आवेदक

बनाम

1. नारायण सिंह तनय ठाकुरप्रसाद सिंह
निo खूंहही तहसील नागौद,
जिला सतना म0प्र0
2. रामभिलन तनय पंचा लोधी
निवासी कलावल {शंकरपुर}
3. श्यामलाल तनय प्यारेलाल लोधी
निवासी कलावल तहसील नागौद
जिला सतना म0प्र0

–अनावेदकगण

श्रीमान् जी,

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग का प्रकरण क्रमांक 22/अपील/2001–02 आदेश दिनांक 8.5.2006 को पारित ।

निगरानी के आधार :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान, क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

––2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1394–तीन/2006 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२५–9 –16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 22/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, लेकिन विचारण न्यायालय की ओदश पत्रिका के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया था। आवेदक ने ही तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तथा हर पेशियों पर वह उपस्थित भी होता रहा है । दिनांक 03.04.98 को शपथ–पत्र के द्वारा अपनी साक्ष्य भी	

प्रस्तुत की थी फिर उसका यह तर्क कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, मान्य किये जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिवत इश्तहार का प्रकाशन करते हुये निष्कर्ष निकाले है तथा तहसीलदार द्वारा स्वतः मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया, जिससे स्पष्ट हुआ है कि आवेदक ने अपना हिस्सा अनावेदक क्र0 3 श्यामलाल को पूर्व आपसी तौर पर विक्रय कर दिया था तब से अनावेदक विवादित भूमि पर काबिज दाखिल है । विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने आदेश पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की विवेचना करते हुये निष्कर्ष निकाला है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की है एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा इन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1394–तीन/2006 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित। अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 22/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 08.05.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959(आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । आवेदक के अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है, लेकिन विचारण न्यायालय की ओदश पत्रिका के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया गया था। आवेदक ने ही तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था तथा हर पेशियों पर वह उपस्थित भी होता रहा है । दिनांक 03.04.98 को शपथ–पत्र के द्वारा अपनी साक्ष्य भी	

प्रस्तुत की थी फिर उसका यह तर्क कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, मान्य किये जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिवत इश्तहार का प्रकाशन करते हुये निष्कर्ष निकाले है तथा तहसीलदार द्वारा स्वतः मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया, जिससे स्पष्ट हुआ है कि आवेदक ने अपना हिस्सा अनावेदक क्र0 3 श्यामलाल को पूर्व आपसी तौर पर विक्रय कर दिया था तब से अनावेदक विवादित भूमि पर काबिज दाखिल है । विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नागौद ने आदेश पारित करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों की विवेचना करते हुये निष्कर्ष निकाला है, और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की है एवं अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा इन दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2006 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य